राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	बाबूलाल बनाम किशनलाल हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
20/05/2026	पत्रावली प्रस्तुत हुई	अधिवक्ता अपीलार्थी उपस्थित	रेस्पो. बाद तामील अनुपस्थित	अधिवक्ता अपीलार्थी की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी	संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि रेस्पो. संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत तकासमा का पेश किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली लोक अदालत सायपुरा में नियत कर प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 09/05/2017 पारित करते हुये तहसीलदार जमवारामगढ़ को विवादित भूमि के कुर्रेजात रिपोर्ट हिस्सा एवं मौका व सरस-नरस को ध्यान में रखते हुये कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये	जिससे व्यथित होकर प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 09/05/2017 के विरुद्ध यह अपील इस न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र धारा-5 कानून मियाद के साथ प्रस्तुत की गयी है	जिस पर रेस्पो. बाद तामील अनुपस्थित रहने पर अधिवक्ता अपीलार्थी की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी | अधिवक्ता अपीलार्थी की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया	उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का मय अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिकाओ एवं अपीलाधीन प्राथमिक निर्णय व डिक्री अवलोकन किये जाने से यह जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में दिनांक 09/03/2017 को पत्रावली वास्ते तलबी नियत कर आगामी पेशी दिनांक 01/05/2017 मुकर्रर की गयी किन्तु पत्रावली को नियत दिनांक 01/05/2017 को न्यायालय में लिस्टेड नही किया गया बल्कि पत्रावली को सीधे ही दिनांक 09/05/2017 को लोक अदालत सायपुरा में नियत कर बिना पक्षकारान को सूचना एवं सुनवाई का अवसर दिये बगैर अपीलाधीन प्राथमिक निर्णय व डिक्री सरसरी तौर पर पारित कर दिये गये, जो विधिक प्रक्रियाओ एवं प्रावधानों के सर्वथा विपरित स्पष्ट होता है	ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र धारा-5 मियाद अधिनियम में अंकित तथ्यों को स्वीकार कर प्रार्थना पत्र धारा-5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपीलाधीन प्राथमिक निर्णय व डिक्री को निरस्त किया जाना न्यायोचित्त एवं विधिसम्मत समझा जाता है | अत: उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी अन्दर मियाद शुमार की जाकर स्वीकार की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 09/05/2017 निरस्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे विधिक प्रक्रियाओ एवं प्रावधानों की अनुपालना करते हुये बाद सुनवाई पक्षकारान विधिसम्मत प्राथमिक निर्णय व डिक्री पुन: पारित करे | पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो | निर्णय आज दिनांक 20/05/2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया		